न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 34/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
करमाली पुत्र अमरा जाति मुसलमान निवासी उटल तहसील शिव		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2017 बमुकदमा संख्या 30/2017 द्वारा तहसीलदार शिव

उपस्थितः–1.श्री पवन सिंहल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 23.05.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजड़ाल ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार शिव के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलांट करमाली ने ग्राम उटल के खसरा संख्या 536/377 रकबा 241.10 बीघा में से 0.03 बीघा किस्म गै,मु,मगरा. भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान, टांका ,छपरा व बाड़ा का निर्माण किया है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 30/2017 दर्ज कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, 01/– जुर्माना आरोपित किया एंव 60 दिन की सिविल कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की हैं।
2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि तहसीलदार शिव ,द्वारा अपीलांट को खसरान म्बर 536/377 मे अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया है खसरा नम्बर 536/677 मूल खसरा नम्बर 377 का ही

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विभक्त खसरा है वं मूल खसरा नम्बर 377 में से विभक्त होकर खसरा नम्बर 494रु/77 रकबा 6.10 बीघा भूमि अपीलांट के पिता अमरा वल्द अलफ को आवंटित हो रखी है और खसरा नम्बर 536/377 की भूमि भी खसरा नम्बर 494/377 के पास ही स्थित भूमि है जिस पर अपीलांट पिछले 30 वर्षो से अपनी रहवासी ढाणी बनाकर रहवास कर रहा है मगर रिकार्ड की भूलवश 03 विस्वा भूमि जिस पर अपीलांट का पक्का मकान बना हुआ है वह भूमि अपीलांट व उसके पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही हो पाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांट से तामिल नहीं है नोटिस की पुश्त पर नोटिस उसके मकान पर चस्पा तहसीलदार शिव ने विधि द्वारा सुस्थापित प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल जाकर अपीलांट के समस्त हितो व प्राकृति न्याय के सिद्धान्तो का हनन कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ईकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वरा गलत रिपोर्ट पेश कर धारा 91 अतिक्रमण का मुकदमा दर्ज किया गया। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। तहसीलदार शिव ने भी कोई जॉच नहीं कर एक तरफा आदेश पारित कर दिया, जो गलत है। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाए। इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अपीलांट की खातेदारी भूमि उक्त आराजी के पास नहीं है। अपीलांट ने सम्वत् 2073 में भी इस भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है, और अतिक्रमण करने का आदी है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, सही एंव न्यायोचित है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एंव तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से मौजा उटल के खसरा नम्बर 536/377 की भूमि सरकारी भूमि है उक्त विवादित आराजी के पास अपीलांट की खातेदारी भूमि होने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही अपीलांट के न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जॉच के दौरान पटवारी हल्का राजड़ाल के बयान लिये है।पत्रावली एंव पटवारी हल्का के बयान अनुसार अपीलांट करमाली ने मौजा उटल के खसरा नम्बर 536/377 किस्म मगरा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से पक्का मकान,टांका,छपरा व बाड़ा का निर्माण करने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध वर्ष 2073 में मुकदमा संख्या 632/16 दर्ज कर आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया था।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट ने इन्हीं खसरान की भूमि पर दुबारा वर्ष 2074 में अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध मुकदमा संख्या 30/2017 दर्ज कर बाद जॉच एंव सुनवाई आदेश दिनांक 05.07.2017 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी करमाली वल्द अमरा द्वारा वर्तमान में खसरा नम्र 536/377 में 0.03 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर रहवासी मकान बना हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट जान बूझकर, राजकीय भूमि पर बेदखल करने के बावजूद बार–बार अतिक्रमण करता रहता है और पश्चात्वृति अतिक्रमी हैं। अपीलांट की इस प्रवृति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एंव सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, सही एंव न्यायोचित है,जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव तहसीलदार,शिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 यथावत रखा जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर